

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

मिसल नम्बर 233/17 तारीख रज 22/1/17 रिपोर्ट पटवारी हल्का ठेका बनाम श्री विश्राम पुत्र काटू वर्मा जाति मेना निवासी नयागांव तहसील महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 26/2/18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे सम्क्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री विश्राम ने ग्राम नयागांव को भूमि ख.न. 113 रकबा 0.01 किस्म गेहूं फसल रबि / खरीफ संवत 20 74 में गेहूं कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया उक्त जबाब में उसके द्वारा अपने बचाव में कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नहीं किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 113 रकबा 0.01 किस्म गेहूं वाके ग्राम नयागांव से बेदखल किया जाता है। तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 0.44 या 50 गुणा 22 रु शस्ति से दण्डित किया जाता है। तथा इस पर खड़ी फसल गेहूं को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खड़ी फसल को नष्ट / निलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों। तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार महवा (दौसा) तहसीलदार महवा

114 पट
2017-18
8/3/18
र. Boshel